5-26/11

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना

-: आदेश :-

26-03-2013

आवेदक **श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह,** पिता–श्री भरत शर्मा, मु0–धौरानी टोला, वार्ड नं0–17, पो0–मोकामा, थाना–मोकामा, जिला–पटना के नाम एक एन0पी0बोर पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–670/2009 में पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय (शस्त्र अपील) वाद संख्या–87/2010 में दिनांक–24.01.2012 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्विचार हेतु यह वाद प्रारम्भ किया गया।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि वे एक ठीकेदार हैं तथा रियल इस्टेट का भी कार्य करते हैं। उनकी वार्षिक आय लगभग 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) रूपये प्रति वर्ष है। आवेदक द्वारा सुरक्षा भय के बिन्दु पर पृच्छा किए जाने पर बताया गया कि उग्रवादियों एवं असामाजिक तत्वो से भय बना रहता है, परन्तु आवेदक द्वारा अपने कथन के आलोक में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक–620/गो0, दिनांक–08.04.2010 का अवलोकन किया गया। जाँचोपरान्त सहायक पुलिस अधीक्षक, बाढ़ द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति नहीं दिये जाने की अनुशंसा की गयी है, जिससे सहमत होते हुए आवेदक के एन0पी0बोर पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को **"बिना अनुशंसा"** के आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्र के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, मोकामा के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। समर्पित प्रतिवेदन की कंडिका–10 अन्तर्ग त आवेदक को कोई विशेष सुरक्षा भय होने की बात प्रतिवेदित नहीं की गयी है। इसी आधार पर पूर्व में प्राप्त शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–**V-11016/16/2009,** शस्त्र दिनांक–31.03.2010 की कंडिका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-

11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/आशंका नहीं है तथा उन्हें एन0पी0बोर पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-**11016/16/2009,** शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश एवं आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों– के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक **श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह**, पिता–श्री भरत शर्मा, मु0–धौरानी टोला, वार्ड नं0–17, पो0–मोकामा, थाना–मोकामा, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

शस्त्र अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।